झारखण्ड सरकार

कार्यालय – वन प्रमंडल पदाधिकारी,
हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, वन भवन, हजारीबाग

☎ 06546-222339, Fax no.06546-222339, Email- dfohazwest@jharkhandmail.gov.in

पत्रांक :– 1355 दिनांक :– 29/3/2018

सेवा में,

Chief Project Manager,
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited,
18/N Ground Floor, Block – A, New Alipor,
Kolkata, West Bengal – 700053

विषय :– डेडीकेटेट फेट कोरीडोर द्वारा दानकुनी पश्चिम बंगाल से सोननगर सेक्शन निर्माण पूर्वी डेडीकेटेट फेट कोरीडोर के तहत कोडरमा Detour (PPP Mode) से हजारीबाग जिला (Detour Section) के निर्माण हेतु 204.029 हे0 (हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल– 121.229 हे0, हजारीबाग वन्य प्राणी प्रमंडल– 82.80 हे0) वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग:– आपका पत्रांक KKK/EN/ Forest / Hazaribagh/173/1992 दिनांक 21.03.2018 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा विषयगत प्रस्ताव में इस कार्यालय के पत्रांक 584 दिनांक 06.02.2018 द्वारा उठाये गये त्रुटियों का निराकरण कर अनुपालन प्रतिवेदन यथा संशोधित प्रस्ताव ऑन लाईन दिनांक 22.03.18 को समर्पित किया गया है तथा ऑफ लाईन संशोधित प्रस्ताव (Hard Copy) दिनांक 23.03.2018 को समर्पित किया गया है।

समर्पित प्रस्ताव संख्या FP/ JH/ RAIL/ 18720/ 2016 दिनांक 22.01.2018 के अवलोकनोपरान्त एवं जांचोपरान्त निम्नलिखित त्रुटियां पाई गई जो निम्नवत हैं :–

(1) प्रस्ताव के साथ समर्पित मौजा बरिऔन, थाना बरकठ्ठा, थाना नं0 29 के प्लॉट नं0 73, रकवा 0.33 एकड़ जंगल झाड़ी का उपायुक्त, हजारीबाग द्वारा निर्गत अनापति प्रमाण पत्र में 0.281 एकड़ है, जो 0.05 एकड़ कम है।

(2) प्रस्ताव के साथ समर्पित मौजा नरैना, थाना बरकठ्ठा, थाना नं0 26 के चादर नं0 01 संलग्न है, लेकिन प्लॉट संख्या 680 दर्ज नहीं है, बाकी प्लॉट मानचित्र संलग्न नहीं है।

(3) प्रस्ताव के साथ समर्पित मौजा फुलवरिया, थाना चौपारण, थाना नं0 227 में प्लॉट संख्या 01 उल्लेख किया गया है, जो गलत है, प्लॉट संख्या 02 होना चाहिए लैण्ड सिडुल में जोड़ एवं प्लॉट नं0 गलत दर्ज है, तथा रकवा कम है।

(4) प्रस्ताव के साथ समर्पित मौजा जागोडीह, थाना चौपारण, थाना नं0 231, चादर नं0 01 के प्लॉट नं0 17 एवं 20 में नाला को वन भूमि दर्शाया गया है, जो गलत है। साथ ही चादर नं0 02 का कैडस्ट्रल मैप प्रस्ताव में संलग्न नहीं है। इसलिए रकवा का जांच संभव नहीं है।

(5) प्रस्तावित मौजा अम्बातरी, थाना चौपारण, थाना नं0 241 का प्लॉट संख्या 329 एवं रकवा लैण्ड सिडुल में दर्ज नहीं किया गया है, साथ ही रकवा कम दर्ज है।

(6) अपयोजित होने वाली भूमि अधिकतर मौजों के प्लाटवार रकवा कम दर्ज किया गया है।

(7) हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल क्षेत्राधीन पडनेवाले मौजा में कराये गए गणना का गणना सूची पूर्ण रूप में समर्पित नहीं किया गया है। यदि प्रयोक्ता संस्थान को Sampling Method से गणना सूची तैयार करनी है, तब प्रत्येक ग्राम में अपयोजित होने वाली वन भूमि का Representative Site गणना सूची के लिये चुना जाये तथा जिस Method से Sampling किया जायेगा उसे भी स्पष्ट रूप से वर्णित करें।

(8) प्रस्ताव 204.029 हे0 वन भूमि के अपयोजन हेतु समर्पित किया गया है जिसमें 153.603 हे0 का FRA , NOC प्राप्त है। शेष 50.429 हे0 का FRA , NOC प्राप्त नहीं है। साथ ही ग्राम सभा की बैठक की प्रति के साथ संलग्न होना चाहिए।

(9) प्रस्तावित वन भूमि अपयोजन के कम में चयनित क्षतिपूरक वनरोपण का Geo-reference Map, shape file, K.M.L file, का Soft copy C.D के साथ संलग्न किया जाय। इस हेतु आप प्रमंडलीय कार्यालय से चयनित क्षतिपूरक वनरोपण स्थलों का नक्शा प्राप्त कर सकते हैं।

अतः प्रस्ताव मूल रूप में सभी प्रतियों में इस पत्र के साथ संलग्न कर वापस करते हुए अनुरोध है कि उपरोक्त इंगित त्रुटियों का निराकरण कर अनुपालन प्रतिवेदन/ संशोधित प्रस्ताव समर्पित करने की कृपा की जाय ताकि प्रस्ताव पर अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

<u>अनुलग्नकः– यथोक्त।</u>

विश्वासभाजन,

ह0/–
वन प्रमण्डल पदाधिकारी
हजारीबाग पश्चिमी प्रमंडल

ज्ञापांकः 1355 दिनांकः 29/3/2018

प्रतिलिपि वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग / क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग / प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड झारखण्ड रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

29/3/18

वन प्रमंडल पदाधिकारी
हजारीबाग पश्मिची प्रमंडल